न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/23/2021	2021/192	08.10.2021	11.03.2026

1.चम्पा लाल पुत्र श्री विजय सिंह मीना उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सैमला पोस्ट हसनपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

——निगरानीकार

बनाम

1.ग्राम पंचायत हसनुपर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर (भू आवंटन सलाहकार समिति) तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
2.सुखराम पुत्र श्री भौमा मीना उम्र 78 वर्ष,
3.टीकाराम पुत्र श्री भौमा मीना उम्र 55 वर्ष,
4.राम प्रसाद पुत्र श्री रामनाथ मीना उम्र 60 वर्ष,
5.प्रभुदयाल पुत्र श्री रामनाथ मीना उम्र 62 वर्ष निवासीयान ग्राम सैमला पोस्ट हसनपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान 321607।
6.शोभाराम पुत्र श्रीया उर्फ श्रीराम उम्र 48 वर्ष–मृतक
6/1.अभिषेक मीना उम्र करीब 28 साल निवासी ग्राम सैमला पोस्ट हसनपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी ग्राम ढिगावडा, सीनियम सैकण्डरी स्कूल के पीछे नयावासी पोस्ट ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान 301414।
7.श्रीया उर्फ मूल्या उर्फ मूला मीणा निवासी ग्राम सैमला पोस्ट हसनपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी ग्राम ढिगावडा नयावासी पोस्ट ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान–मृतक
7/1.हरिराम पुत्र स्व0 श्री श्रीया,
7/2.तेजपाल पुत्र स्व0 श्री श्रीया जाति मीना निवासीयान हाल ग्राम ढिगावडा नयावासी पोस्ट ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान

——गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत हसनपुर पं0स0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर, कि जिसके द्वारा भूमि विक्रय विलेख पट्टा नंबर 19 दिनांक 17.07.1986, पट्टा नंबर 20 दिनांक 17.07.1986, पट्टा नंबर 02 दिनांक 17.07.1986, पट्टा नंबर 03 दिनांक 17.07.1986 व पट्टा नंबर 04 दिनांक 17.07.1986 जो कि क्रमशः अनिगरानीकार संख्या 02 लगायत 06 के नाम नियम व विधि विरूद्ध तथा फर्जी तरीके से जारी किये गये।

उपस्थितः–

01.श्री एन0के0 मीना –वकील निगरानीकार
02.श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील गैरनिगरानीकार 03 लगा0 05

–:: निर्णय ::–

निगरानीकार द्वारा निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत हसनपुर पं0स0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर जिसके द्वारा भूमि विक्रय विलेख पट्टा नंबर 19 दिनांक 17.07.1986, पट्टा नंबर 20 दिनांक 17.07.1986, पट्टा नंबर 02 दिनांक 17.07.1986, पट्टा नंबर 03 दिनांक 17.07.1986

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

व पट्टा नंबर 04 दिनांक 17.07.1986 जो कि क्रमशः अनिगरानीकार संख्या 02 लगायत 06 के नाम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 58/2 रकबा 14 बिस्वा या 0.17 है0 किस्म चारागाह ग्राम सैमला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में स्थित है। पैरा संख्या 1 में दर्ज चारागाह भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 सुखराम द्वारा अतिक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में की गई शिकायतों पर श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर के पत्र के प्रत्युत्तर में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को प्रेषित पत्र क्रमांक पंचायत/2018–19/2119 दिनांक 03.08.2018 के अनुसार ग्राम पंचायत हसनपुर पं०स० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 सुखराम को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 6, पट्टे व इकरारनामा की प्रतियाँ ग्राम पंचायत हसनपुर को प्रस्तुत किये गये, जिनमें अप्रार्थी संख्या 2 लागायत 7 के नाम ग्राम पंचायत हसनपुर द्वारा अलग अलग कुल 6 पट्टे जारी किया जाना बताया गया तथा अप्रार्थी रामप्रसाद, प्रभुदयाल, शोभाराम एवं श्रीया पुत्र मूला जाति मीना के इकरारनामे बताये गये हैं। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रेषित किये गये उक्त पट्टे का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत हसनपुर में उपलब्ध ही नहीं है, जिससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 लागायत 5 के नाम जो पट्टे जारी किया जाना बताया गया है, वो कतई फर्जी, बनावटी व कूटरचित हैं। इसकी वजह यह भी कथित पट्टों पर प्रस्ताव की जो तारीखें दर्ज की गई हैं, वो पट्टे हेतु आवेदन पत्र की जो दायरा तारीख (आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक) से कोई तारीख 2 वर्ष पूर्व की व कोई कुछ माह पूर्व की दर्ज की गई हैं। जिससे स्पष्ट पता चलता है कि कुल कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है जो अप्रार्थी संख्या 2 लागायत 6 एवं कुछ अन्य लोगों की मिल्लत व साजिश का परिणाम है। क्योंकि पट्टे हेतु आवेदन से पूर्व प्रस्ताव लिया जाना संभव ही नहीं है और ये एकदम नियम तथा विधि विरूद्ध है। जिस कारण तथाकथित उक्त पाँचो पट्टे निरस्त किए जाने योग्य हैं। राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार भूमि विक्रय विलेख हेतु जो नियम बनाये गये हैं, उसके नियम 256 के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंचायत से कोई आबादी भूमि खरीदना चाहता है तो पंचायत को लिखित रूप में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस भूमि का ऐसा वर्णन होना चाहिये, जो खरीदी जाने के लिए प्रस्तावित भूमि को पहचानने के लिए पर्याप्त हो। वहीं नियम 256 (2) के अनुसार आवेदन के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने के लिए 2/–रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा और इस मामले में एक फाइल कायम की जायेगी। तत्पश्चात् नियम 257 (2) के अनुसार एक नक्शा किसी योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार करवाया जायेगा तथा नियम 257 (5) के अनुसार तैयार किये गये नक्शे में बेची जाने वाली भूमि को लाल स्याही द्वारा दर्शाया जायेगा व उस पर आवेदक के तथा उस व्यक्ति, जिसने उसे तैयार किया है, के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद नियम 258 के तहत 03 पंचों से मौका निरीक्षण करने का भी प्रावधान है, जो उप नियम (1) के अधीन क से ख में अपनी रिपोर्ट देगी तथा मौका रिपोर्ट के बाद पंचायत नियम 259 के तहत अनन्तिम विनिश्चय पारित करेगी। लेकिन वर्तमान प्रकरण में तो बिना किसी आवेदन पत्र के, बिना किसी मिसल के, बिना कोई नक्शा बनाये मौका निरीक्षण भी हो गया, भूमि का मूल्यांकन प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानि पट्टे बनाने की प्रक्रिया बिना किसी आवेदन के व बिना किसी मिसल/पत्रावली के करली गई। इस तरह यह स्पष्ट है कि तथाकथित सभी 5 पट्टे एकदम फर्जी व कूटरचित हैं। दीगर सूरत में नियमों की अनदेखी करके निधारित प्रक्रिया व प्रावधानों के खिलाफ कुल कार्यवाही किए जाने के कारण भी उक्त सभी पट्टे निरस्त किए जाने योग्य हैं। वास्तविकता में ग्राम पंचायत हसनपुर द्वारा तथाकथित पट्टे जारी ही नहीं किए गए हैं, इसी कारण से ग्राम पंचायत में इनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि स्वयं सचिव/ सरपंच ग्राम पंचायत हसनपुर व विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ बार–बार लिखित रूप में कहकर कर भी चुके हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

विवादित 5 किता पट्टों में कब्जाशुदा मकान दर्ज किया गया है, जबकि मौके पर खसरा नंबर 58/2 की भूमि पर मौके पर केवल एक ही मकान है, जो भी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 सुखराम द्वारा बनाया गया है। क्योंकि वह पूर्व में ग्राम सैमला की पुरानी मूल आबादी में रहता था तथा वहाँ के मकान को उसने ईशर पुत्र भोमा को बेच दिया और उक्त खसरा नंबर 58/2 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करके उक्त मकान बनाया गया है। किन्तु प्रश्न यह भी उठता है कि यदि विवादित पट्टों के अनुसार 5 अलग–अलग मकान उक्त भूमि में स्थित बताकर पट्टे जारी कराये गये तो फिर बाकी 4 मकान मौके पर मौजूद क्यों नहीं हैं और वो मकान कहाँ चले गये ? जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित पट्टे फर्जी व कूटरचित है। दिनांक 20.02.2019 को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधि कारी जिला परिषद अलवर व तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के आदेश पर सचिव ग्राम पंचायत हसनपुर व हल्का पटवारी द्वारा दी गई मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नंबर 58/2 में मौके पर केवल एक ही मकान अप्रार्थी संख्या 2 का होने की पुष्टि की गई है तथा इस मौका रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया है कि राम प्रसाद व प्रभुदयाल पुत्रान रामनाथ मीना वर्तमान में ग्राम सैमला की मूल आबादी में निवास करते हैं न कि खसरा नंबर 58/2 की भूमि पर तथा शोभाराम पुत्र श्रीया व श्रीया पुत्र मूला के मकान भी ग्राम सैमला की मूल आबादी में थे, जिन्हे जगदीश पुत्र कन्हैया को बेच कर वर्तमान में ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में रह रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त मौका रिपोर्ट से यह एकदम स्पष्ट है कि मौके पर कोई मकान मौजूद नहीं होने के बावजूद कब्जाशुदा मकान अंकित करके जो पट्टे बनाये गये हैं, वो नितांत फर्जी व कूटरचित हैं। वास्तविकता में उक्त तमाम पट्टे मौके पर कोई मकान नहीं होने के बावजूद महज चारागाह भूमि को हड़पने की मंशा से फर्जी कूटरचित तैयार किये गये हैं। विवादित सभी पट्टों में लिखा है कि श्सम्पादित भूमि में मौजूदा दरवाजा तरफ पश्चिम को है।श लेकिन विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के पत्र क्रमांक 2119 दिनांक 03.08.18 के पैरा संख्या 6 के अनुसार खसरा नंबर 58/2 में केवल सुखराम पुत्र भोमा 109 फुट 8 इंच लम्बाई व 100 फुट चौड़ाई की चार दीवारी के भीतर 56 बाई 44 फुट के पक्के मकान बनाकर आबाद है तथा शेष भूमि 85 बाई 127 फुट व 92 बाई 20 फुट पर सुखराम का ही कब्जा है तथा सुखराम के अलावा अन्य किसी ग्रामीण का उक्त खसरा पर किसी प्रकार का कब्जा व अधिकार नहीं है। जिससे भीयह स्पष्ट है कि विवादित पट्टे फर्जी व कूटरचित हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 सुखराम द्वारा उक्त चारागाह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है तथा उसने सरासर अवैध रूप से मकान बनाया हुआ है। केवल अप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर मकान होने की पुष्टि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हसनपुर व पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ की विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ को दी गई रिपोर्ट दिनांक 22.07.2018 व मौका नक्शा से भी बखुबी साबित है। हल्का पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति हसनपुर द्वारा दिनांक 20.02.19 को अप्रार्थी संख्या 2 लागायत 5 के वर्तमान एवं पूर्व निवास के संबंध में जो रिपोर्ट मय नक्शा बनाई गई है, उसमें भी उक्त चारागाह भूमि खसरा नंबर 58/2 पर मात्र एक ही मकान अप्रार्थी संख्या 2 सुखराम का होने की पुष्टि की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 सुखराम ने स्वयं भी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर को प्रस्तुत जवाब दिनांक 31.07.18. जिस पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हसनपुर के भी हस्ताक्षर हैं, में स्पष्ट दर्ज किया गया है कि वर्तमान में 4 पट्टे खाली हैं अर्थात उक्त चारों पट्टे जो अप्रार्थी संख्या 3 लागायत 6 के नाम के हैं, वो मौके पर बिना मकान के फर्जी व कूटरचित हैं। विवादित पट्टों में जिन प्रस्ताव का जिक्र किया गया है, उन प्रस्ताव के पास होने का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत हसनपुर के पास सन् 2015–16 तक भी उक्त भूमि खसरा नंबर 58/2 का कोई रिकॉर्ड, नक्शा, सीमा ज्ञान नहीं था, जो विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के पत्र क्रमांक 5810 दिनांक 10.05.2016 व पत्र क्रमांक 10077–78 दिनांक 04.05.2017 से भी स्पष्ट है। अतः यह बखुबी आयद व साबित होता है कि तथाकथित पट्टे कोई नक्शा, सीमा ज्ञान नहीं होने के बावजूद

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

फर्जी व कूटरचित तैयार किये गये हैं। इसी वजह से ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड विवादित पट्टों का उपलब्ध नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 02 ने अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को दिनांक 09.08.2018 को लिखित बयान दिया गया, जिस पर पहचानकर्ता के रूप में उसके पुत्र सोहनलाल मीना के हस्ताक्षर इंगित हैं, जो एमए पास है तथा ग्राम पंचायत सचिव मनोज कुमार शर्मा के भी हस्ताक्षर हैं, इस बयान में पट्टा नंबर 1 स्वयं के स्वामित्व में व पट्टा नंबर 2 अपने पुत्र टीकाराम के नाम से होना बताया है, जबकि इनके नाम जो पट्टे बताये गये हैं, वह पट्टा नंबर 19 व 20 हैं, जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टे फर्जी व कूटरचित हैं। इसके अलावा इसी पत्र में यह भी लिखा गया है कि प्रत्येक पट्टे के मध्य में 3–3 फुट की गली भी रखी गई है, जबकि प्रस्तुत छाँया प्रति पट्टों में कहीं भी गली का उल्लेख ही नहीं है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने बयान में यह भी लिखा है कि पट्टा नंबर 3, 4, 5 व 6 के आवंटनधारी लोगों ने अपने अपने पट्टों की देखभाल व सुरक्षा की अस्थाई जिम्मेदारी मुझे शपथ पत्रों पर दे रखी है, जबकि पट्टा नंबर 5 व 6 की कोई प्रति भी प्रस्तुत नही की गई है, न उसने यह बताया कि पट्टा नंबर 5 व 6 किसके नाम के हैं। जिससे भी यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि उक्त तमाम पट्टे फर्जी व कूटरचित तैयार किये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 6 के पिता श्रीया पुत्र मूल्या/मूला द्वारा अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को प्रस्तुत जवाब दिनांक 31.07.18 में लिखा है कि मेरे पास ग्राम सैमला के खसरा नंबर 58/2 की भूमि में कोई पट्टा ही नहीं है, यदि मेरे नाम से कोई वैध पट्टा ग्राम पंचायत हसनपुर ने जारी किया है तो मुझे दिलाया जावे व यदि मेरे नाम से कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो कार्यवाही की जावे, मुझे ग्राम पंचायत ने अभी तक कोई वैध पट्टा जारी नहीं किया है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 पट्टा नंबर 06 श्रीया पुत्र मूल्या का बता रहा है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या ने ही उक्त चारागाह सरकारी बेशकीमती भूमि को हड़पने के लिए अपने नाम से व दीगर अप्रार्थीयों व श्रीया के नाम से फर्जी कूटरचित पट्टे तैयार किये हैं। राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम सैमला में स्थित उक्त आराजी खसरा नंबर 58/2 चारागाह से गै०मु० आबादी में नामान्तरण संख्या 54 दिनांक 26.05.1986 दर्ज किया हुआ है। जबकि इन फर्जी पट्टों में दिनांक 26.05.1986 से करीब 3 वर्ष पहले की तिथि में जब उक्त भूमि चारागाह थी। दिनांक 12.07.83 को मूल्यांकन का प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 26.05.86 से करीब 7 माह पूर्व दिनांक 27.10.85 को संकल्प संख्या 3 द्वारा मूल्यांकन के आदेश दिनांक 12.07.83 को प्रस्ताव संख्या 2 को पास करना बताया गया है। जिससे भी फर्जीवाड़े का साफ पता चलता है क्योंकि नियम 16 (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 के अनुसार चारगाह भूमि का किसी को भी आवंटन किया ही नहीं जा सकता है तथा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 169 के अनुसार चारागाह भूमि में पंचायत को पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में भी विवादित पट्टे निरस्त किए जाने योग्य हैं। उक्त भूमि दिनांक 26.05.1986 तक चारागाह भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। पटवारी हल्का खेड़ली लोधा व ग्राम विकस अधिकारी ग्राम पंचायत हसनपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.02.19 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा उक्त भूमि पर कोई आबाद नहीं है तथा किसी के मकान नहीं है बल्कि रामप्रसाद, प्रभुदयाल, शोभाराम, श्रीया के मकान ग्राम सैमला की मूल आबादी में हैं व इनके पूर्व व वर्तमान निवास के बारे में भी खुलासा किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त लोगों में से किसी का भी खसरा नंबर 58/2 चारागाह से आबादी भूमि पर कोई वैधानिक क्लेम नहीं हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 लागायत 7 को वास्तविकता में विवादित पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जो तो सर्वप्रथम तो उनका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध अवश्य होता, दूसरे अप्रार्थी संख्या 2 लागायत 7 के मौके पर मकानात होते तथा उनमें नल–बिजली कनेक्शन भी होते और मौके पर उनकी आबादी दिखाई देती। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं है। केवल अप्रार्थी संख्या 2 का हाल ही में बनाया हुआ मकान है, जो वास्तविकता में चारागाह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सिवा कुछ नहीं है और विवादित तमाम फर्जी कूटरचित पट्टे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ही चारागाह सरकारी बेशकीमती

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

भूमि को फर्जी तरीके से हड़पने की मंशा से तैयार किये गये हैं और तीसरे ये तमाम पट्टों की केवल फोटो प्रतियाँ अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ही प्रस्तुत की गई हैं, जो कि उसने स्वयं अपने कब्जे में होना बताया भी है। इस तरह कुल कारगुजारी फर्जकारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ही की गई है, इसलिए न केवल विवादित पट्टे निरस्त किए जाने आवश्यक हैं अपितु अप्रार्थी संख्या 2 का मौके से अतिक्रमण हटाया जाकर उसे बेदखल कराया जाना व सरकारी बेशकीमती चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध गंभीर आपराधिक मामले की गहन जाँच कराई जाकर उसे दण्डित कराये जाने की कार्यवाही किया जाना भी महति आवश्यक है।

उक्त भूमि खसरा नंबर 58/2 का चारागाह से गैर मु० आबादी में परिवर्तन आदेश जारी हुआ, जिसका इंतकाल संख्या 54 वर्ष 1986 में स्वीकार हुआ है तो फिर इससे पूर्व ही ग्राम पंचायत को प्रस्ताव लेकर पट्टे जारी करने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं रह जाता है। क्योंकि जब इंतकाल ही वर्ष 1986 में हुआ है, तो फिर इससे पूर्व ही वर्ष 1985 में कोई संकल्प/प्रस्ताव लिया जा सकता है, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् है। उक्त प्रकरण में जो नक्शा प्लॉटों का दिया गया है, उसमें प्रत्येक प्लॉट का साईज 30 बाई 45 फुट है तथा नक्शे के अनुसार किसी भी प्लॉट के बीच में कोई रास्ता किसी प्रकार का नहीं है, जिस बाबत मौका रिपोर्ट भी तैयार की गई, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 सुखराम का निर्माण 68 बाई 43 फुट पर बताया गया है, जो भिन्नता स्पष्ट रूप से कूटरचना व फर्जीवाड़े का प्रमाण है। अप्रार्थी संख्या 2 सुखराम ने अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उसने यह कहा है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन करते समय प्रत्येक पट्टे के मध्य 3–3 फुट की गली भी रखी थी। जबकि नक्शे में कोई गली नहीं दर्शाई गई है तथा आगे यह लिखकर दिया कि पट्टा नंबर 3, 4, 5 व 6 के आवंटनधारी लोगों ने अपने अपने पट्टों की देखभाल व सुरक्षा के लिए अस्थाई जिम्मेदारी मुझे शपथ पत्रों पर दे रखी है। जबकि ऐसा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा ग्राम पंचायत से इस बारे में रिकॉर्ड भी मांगा गया तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, न ही प्रार्थी को प्राप्त हुआ है तथा स्वयं श्रीया पुत्र मूल्या यह कहता है कि मेरे नाम कोई पट्टा नहीं है। जबकि उसके नाम कोई पट्टा ही नहीं है तो फिर उसका प्लॉट कैसे हो सकता है तथा सुखराम किस हैसियत से काबिज है ? प्रत्येक पड़े में प्लॉट की चौड़ाई 30 फुट बताई है तथा कुल 6 प्लॉटों की चौड़ाई 180 फुट होती है। यदि अप्रार्थी संख्या 2 के अनुसार प्रत्येक प्लॉट के बीच में 3 फुट की गली है तो चौडाई 196 फुट होती है। इस तरह उक्त कथन भी विरोधाभासी है। मौका पर्चा ग्राम पंचायत ग्राम सैमला तैयार किया गया, जिसमें खसरा नंबर 58/2 में कुल 157 फुट चौड़ाई बताई है तथा दूसरी रिपोर्ट वर्तमान पैमाईश दिनांक 08.10.2020 में 20 गड्डे बताई गई है। 20 गट्टे यानि 165 फुट होता है और जब 165 फुट है तो 180 या 196 फुट कैसे चौड़ाई हो सकती है। इसलिए उक्त कथन भी परस्पर विरोधाभासी है। इसलिए आलोच्य आदेश जेरे निगरानी काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 2 ने फर्जी अन्य लोगों, जिनमें नाम पट्टे जारी होने बताया है, उनसे फर्जी इकरारनामा लिखाया हुआ है। जबकि पट्टे की जमीन बेची नहीं जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा सभी कथित पट्टेधारी अन्य गांवों में व अन्य जगह रहते हैं। इसलिए आलोच्य आदेश जेरे निगरानी काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत हसनपुर का तत्कालीन समय में पंच था, जिस समय सरपंच मगनचन्द जैन था तथा स्वयं मगनचन्द तत्कालीन सरपंच यह कहता है कि हमारे पास पट्टों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह यह स्पष्ट कुल कार्यवाही फर्जी व कूटरचित तरीके से की गई है। इसलिए आलोच्य आदेश जेरे निगरानी काबिल खारिज है। तथाकथित पट्टे फर्जी व कूटरचित हैं तथा इनका कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, न ही इस संबंध में कोई आदेश ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में कोई आदेश प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है और पट्टे जारी करने व दायरा तारीख को ही आदेश माना जाकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी की सूचना में जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं, वह प्रमाणित प्रतिलिपि है, जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

संलग्न कर प्रस्तुत है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पट्टों का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में व अन्य के पास उपलब्ध नहीं है। तथाकथित पट्टे फर्जी व कूटरचित हैं तथा इनसे संबंधित कोई आदेश भी उपलब्ध नहीं है, न कोई जानकारी हुई है। लिहाजा इस तरह के मामलो में रिवीजन की कोई मियाद निर्धारित नहीं है। निगरानी हाजा अदालत श्रीमान के श्रवण योग्य है। निगरानी हाजा पर कोर्टफीस एक रूपये चस्पा है। तथाकथित पट्टे फर्जी व कूटरचित हैं। अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर विवादित पट्टों को निरस्त फरमाया जावे तथा विवादित पट्टे जारी किए जाने का कोई आदेश उपलब्ध नहीं होने के कारण तथाकथित आदेश को भी निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी। निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकारों को रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। निगरानीकार संख्या 01 पूर्व जरिये अधिवक्ता न्यायालय में आए किन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अनिगरानीकार संख्या 3,4,5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, शेष अनिरानीकार बाबजूद रजिस्टर्ड तलवी अनुपस्थित।

वकील निगरानी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि यह निगरानी ग्राम पंचायत हसनपुर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के ग्राम सैमला में खसरा नंबर 58/2 रकबा 0.17 हेक्टेयर भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण और फर्जी पट्टों के खिलाफ पेश की गई है। तत्कालीन वार्ड पंच (अप्रार्थी संख्या 2–सुखराम मीना) द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर, तत्कालीन सरपंच के साथ मिलीभगत करके, बेशकीमती सरकारी चारागाह/आबादी भूमि को हड़पने के लिए अपने और अपने परिजनों के नाम 5 फर्जी पट्टे, पट्टा सं. 19, 20, 2, 3, 4 बनवाए जाने का आरोप है। गैरनिगरानीकार द्वारा पेश किए गए पट्टों के जारी होने दिनांक 17.07.1986, भूमि मूल्यांकन प्रस्ताव दिनांक 12.07.1983 और पंचायत संकल्प दिनांक 27.10.1985 का ग्राम पंचायत या पंचायत समिति में कोई रिकॉर्ड/पत्रावली, मिसल या प्रस्ताव रजिस्टर में इंद्राज उपलब्ध नहीं है। तत्कालीन सरपंच मगन चंद जैन और वर्तमान प्रशासक ने भी लिखित में स्पष्ट किया है कि इन पट्टों से संबंधित कोई पत्रावली कार्यालय में मौजूद नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड नामांतरण सं. 54 के अनुसार उक्त भूमि दिनांक 26.05.1986 को 'चारागाह' से 'गैर मुमकिन आबादी' में परिवर्तित हुई। परंतु पट्टों की प्रक्रिया इससे 3 वर्ष पूर्व (1983) में ही शुरू दिखा दी गई। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 और पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को 'चारागाह भूमि' का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पट्टों पर "कब्जा शुदा मकान और पश्चिम की तरफ दरवाजा" अंकित है, जबकि तहसीलदार और पटवारी की पैमाइश रिपोर्ट 2019, 2021 के अनुसार मौके पर केवल सुखराम मीना का एक मकान है जो 2013–14 में बना, अन्य किसी पट्टाधारक का वहां कोई मकान नहीं है। प्लॉट की चौड़ाई पट्टों के अनुसार 180–195 फीट बैठती है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में खसरे की कुल चौड़ाई मात्र 157 से 165 फीट है, जो साबित करता है कि बिना मौका नक्शा या सीमा ज्ञान के हवा में पट्टे काटे गए। दिनांक 17.07.1986 को मात्र 35/– रुपये (लगभग 2.59 पैसे प्रति वर्ग फीट) में बेशकीमती जमीन के पट्टे जारी किए गए। मात्र 15 दिन बाद (दिनांक 31.07.1986), अन्य पट्टाधारकों (रिश्तेदारों) ने इकरारनामे के जरिए वही पट्टे 1450/– से 1550/– रुपये (लगभग 43 गुना अधिक कीमत) में सुखराम मीना को बेच दिए। निगरानीकर्ता के वकील द्वारा अपनी बहस को पुख्ता करने और पट्टों को निरस्त करवाने के लिए निम्नलिखित न्यायालयीन फैसलों का हवाला दिया गया है।

1. धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों की शून्यता पर A-V- Papayya Sastry & Ors Vs Govt- of A-P- & Ors (2007) 4 SC 221 धोखाधड़ी सभी न्यायिक कार्यों को दूषित कर देती है। यदि कोई आदेश, डिक्री या पट्टा धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो वह कानून की नजर में शून्य है। इसे किसी भी समय, किसी भी अदालत में अपील, निगरानी या रिट में चुनौती दी जा सकती है।

2. पट्टों में मियाद का नियम लागू न होने के लिए Smt- Usha Vs The State of Raj- S-B- Civil W.P. No- 10962/2012, निर्णय दिनांक–13.03.2018 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय) इस मामले में पट्टा जारी होने के 36 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई थी। न्यायालय ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मियाद की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब पट्टे पूरी तरह से फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और नियमों को ताक पर रख कर बनाए गए हों, तो वहां मियाद की आड़ नहीं ली जा सकती। Raju Chheeta Vs District Collector] Bhilwara S-B- Civil W-P- No- 9054/2014), निर्णय दिनांक– 04.03.2015 यदि स्थानीय प्राधिकरण की भूमि का आवंटन धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो उसे निरस्त करने में मियाद का कोई नियम आड़े नहीं आता है। इस मामले में Full Bench Case & Chhigan Lal Vs State of Raj- 2000 (2) Raj 911 और Loni Devi Vs State of Rajasthan 2015 (2) RLW 1431 का भी समर्थन लिया गया है)।

3. बिना प्रक्रिया और बिना मौका मुआयना पट्टे जारी करने पर Aan Ram Vs State S.B. Civil W.P. No- 7774/2012) व Khim Ram Vs State (S-B- Civil W-P- No. 7806/2012), निर्णय दिनांक– 17.04.2013 यदि जिस दिन ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिया, उसी दिन बिना किसी विधिक प्रक्रिया, बिना मौका मुआयना के पट्टे जारी कर दिए जाते हैं, तो यह कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है और ऐसे पट्टे निरस्त किए जाने योग्य हैं।

4. बाजार मूल्य के बिना भूमि बेचने (नियम 266) पर Raju Chheeta Vs District Collector Bhilwara राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत 'प्राइवेट नेगोशिएशन' से भूमि बेचने से पहले ग्राम पंचायत को प्रचलित बाजार मूल्य सुनिश्चित करना अनिवार्य है। बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव (जैसे 5 पैसे प्रति वर्ग फीट) बेचना सार्वजनिक भूमि को हड़पने का सीधा मामला है।

सलग्नक–1.विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का पत्र क्रमांक–पंचायत/2018–19/2119 दिनांक–3.8.2018।
2.प्रशासक ग्राम पंचायत हसनपुर का जवाब पत्र क्रमांक–27 दिनांक–27.2.2024।
3.विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर का पत्र क्रमांक 477 दिनाक–26.6.2015 व 10077–78 दिनाक– 04.05.2017 सलगनक पत्र क्रमांक–10–13 दिनांक–31.12.2009।
4.सचिव ग्राम पंचायत हसनपुर के पत्र क्रमांक–275 व 276 दिनांक–15.2.2019।
5.तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, अलवर का पत्र क्रमांक– भू.अ./2021/5000 दिनांक–02.12.2021।
6.विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मण गढ़, अलवर, राजस्थान का पत्र क्रमाक–977 दिनांक–4.7.2012।
7.ग्राम पंचायत सचिव का जवाब पत्र क्रमांक–एसपी(2) दिनांक–15.9.2013।
8.विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मण गढ़, अलवर, राजस्थान का व पत्र क्रमांक–391 दिनांक–20.11.2013।
9.अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर द्वारा विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर को जारी पत्र क्रमांक– 10693–94 दिनांक–5.12.2013 तथा 12980–81 दिनांक–12.3.2014।
10.अप्रार्थी संख्या 2 सुखराम पुत्र भौमा मीना द्वारा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर के पत्र क्रमांक–5027–28 दिनांक–13.7.2018 के सम्बंध में दिनांक–9.8.2018 को प्रस्तुत जवाब पत्र की प्रति।
11.ग्राम पंचायत सचिव हसनपुर का तहसीलदार को पत्र क्रमांक–14–16 दिनांक–14.6.2013।
12.विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, अलवर के पत्र क्रमांक 1052 दिनांक–3.3.2014, क्रमांक 5810 दिनांक 10.5.2016, पत्र क्रमांक–477 दिनांक– 26.6.2015 व पत्र क्रमांक–10077–78 दिनांक–04.05.2017।
13.ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हसनपुर का पत्र क्रमांक–353–55 दिनांक–14.09.2020।
14.तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के पत्र क्रमांक–251 दिनांक–13.8.2015, क्रमांक–240–41 दिनांक–17.7.2015, क्रमांक–273 दिनांक–16.9.2015 व क्रमांक–357–58 दिनांक–18.12.2015।
15.राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक–8.10.2020 को की गई पैमाइश रिपोर्ट।
16.अपार्थी संख्या 7 श्रीया पुत्र मूल्या उर्फ मुला का जवाब पत्र।
17.नामांतरण सं. 54 जिससे खसरा न.58/2 की भूमि का रुपान्तरण राजस्व रिकार्ड में चारागाहा से गैर मुमकिन आबादी दिनांक– 26.5.1986 को दर्ज हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

18.माननीय राजस्थान उच्चन्यायालय जोधपुर द्वारा Paka Ram vs state of Raj & oas S-B-Civil W-P NO-7774/2012 में दिनांक 17.4.2013 तथा Khima Ram vs State of Raj & ors S.B. Civil W.P. No- 7806/2012 में दिनांक 17.4.2013 को दिया गया निर्णय।
19.माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा Sort Usha vs The State of Rajice oss s- B-Civil W- P- No- 10962/2012 में दिनांक 13.3.2018 को दिया गया निर्णय।
20.माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा Looni Devi vs state of Raj-f ors Reported in 2015 (2) RLW 1431 (Raj) में पारित आदेश।
21.माननीय राजास्थान उच्च न्यायालय द्वारा Raju Cheerta vs District Collector] Bhilwara & ord S-B- Civil W-P- No- 9054/2014 में दिनांक 4.3.2015 को दिया गया निर्णय।
22.माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा Chiman Lal vs State of Raid ors Reported in RLW 2000 (2) Raj 911 (Full Bench) में दिया गया निर्णय।
23.माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा Peer Mohamad thr- LRS & Others Vs The state of Ra's fors] S-B- Civil W-P- No-1430/2012 में दिनांक 17.01.2024 को पारित निर्णय।

वकील निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के समर्थन में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त पेश किए जा रहे है:–

1.डी.बी.स्पेशल अपील रिट नम्बर 918/2017 इशाक खान बनाम सटेट ऑफ राजसथान निर्णय दिनांक 20.10.2018, 2018 (4) आरएलडब्ल्यू (राज.) 3326।
2.सिविल रिट नम्बर 8148/2012 श्रीमती शांति देवी बनाम सटेट ऑफ राजसथान निर्णय दिनांक 25.11.2016 (2016) 11 राज. सीके 0062।
3.एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1430/2012 निर्णय दिनांक 17.01.2024।
4.एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1031/1997 निर्णय दिनांक 13.05.2009।
5.कार्यालय जिला परिषद अलर का पत्र कमांक 5064 दिनांक 18.12.2020 व भूमि विकय अभिलेख/पटटो की प्रतियां।

अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर विवादित पट्टों को निरस्त फरमाया जावे तथा विवादित पट्टे जारी किए जाने का कोई आदेश उपलब्ध नहीं होने के कारण तथाकथित आदेश को भी निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

वकील गैरनिगरानीकार द्वारा वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का जबाव देते हुए कथन किये कि चम्पालाल द्वारा निगरानी पेश की है कि पट्टों को निरस्त किया जावे किन्तु पट्टों कि प्रति पेश नहीं की। रिकॉर्ड नहीं मिला या पट्टे किस ऑथोरिटी से प्राप्त किये हैं उस ऑथोरिटी के साइन नहीं हैं। निगरानी के साथ पट्टों कि प्रति पेश नहीं की गई है इस स्थिति में निगरानी कैसे पेश कर दी जबकि निगरानी अधूरी है। चम्पालाल कौन है। निगरानी क्यूं पेश की अपील पेश करनी चाहिए थी पर वो नहीं की। रूल 270 में अपील का प्रावधान है। 272 में निगरानी पेश करने का अधिकार केवल सरकारी ऑफिसियल को है, चम्पालाल कहां से आ गया। पंचयात समिति या जिला परिषद में कोई अपील नहीं की। चम्पालाल को कोई अधिकार नहीं है। ये पूर्व में भी शिकायत कर चुके हैं। जिन पट्टों को निरस्त कराना चाहते हैं उन्हीं पट्टों की प्रति पेश नहीं की है इसलिए निगरानी मैंन्टेनेबल नहीं है। अगर चम्पालाल असाइन्ड है तो भी इतने वर्ष बाद निगरानी मैंन्टेनेबल नहीं है। पट्टे 1986 के हैं और 2021 में चैलेंज किया है, 35 वर्ष बाद निगरानी मैंन्टेनेबल नहीं है:– साइटेशन 2015 डीएनजे 1857 (24 वर्ष बाद) यहां 35 वर्ष बाद पेश की है। चम्पालाल पुत्र विजयसिंह द्वारा खसरा न0 58/2 में एक पीआईएल हाईकार्ट में लगाई जो दिनां 11.04.2018 को खारिज हो गई। चम्पालाल पुत्र विजयसिंह, रामसुखा और कृपाल ने एसीजेएम में दावा किया कि यहां होकर रास्ता जाता है, रास्ते का क्लेम किया। दावा डिक्री कर दिया गया और 8 फीट का रास्ता मान लिया गया। इसकी अपील एडीजे लक्ष्मणगढ में की और एडीजे लक्ष्मणगढ ने इस फैसले को रद्द कर दिया। निगरानीकार द्वार वेवजह हमें परेशान किया जा रहा है। काल्पनिक तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है, जिसका कोई अधिकारी आपको नहीं है। 2012–13 में पत्थर/अतिक्रमण कहा था तो उस वक्त एफआईआर व कार्यवाही क्यों नहीं की। ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। उन्होनें रिकॉर्ड गायब कर दिया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें। एडीएम कोर्ट ने एफआईआर के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

लिए कहा किन्तु एफआईआर नहीं कराई। पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को कार्यवाही करनी चाहिए थी। निगरानी इनकम्प्लीट है। इसलिए खारिज की जावे। वकील गैरनिगरानीकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में अदालत सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ निर्णय दिनांक 18.03.1998, नकल निर्णय अदालत अपर जिला न्यायाधीश लक्ष्मणगढ दिनांक 04.04.2002 और नकल आदेश दिनांक 11.04.2018 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर, पेश किये।

पत्रावली में वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। बहस पूर्ण।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत हसनपुर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा आराजी खसरा नंबर 58/2 वाके ग्राम सैमला में जारी भूमि विक्रय विलेख/पट्टा नंबर 19,20,02,03 एवं 04 दिनांक 17.07.1986) को फर्जी, कूटरचित और विधिक प्रावधानों के विपरीत बताते हुए निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार के तर्क हैं कि विवादित पट्टे जिस खसरा नं. 58/2 में जारी किए गए हैं, वह भूमि दिनांक 26.05.1986 नामान्तरण संख्या 54 तक राजस्व रिकॉर्ड में 'चारागाह' दर्ज थी। ग्राम पंचायत को चरागाह भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पट्टों की प्रक्रिया के लिए न कोई आवेदन किया गया, न मिसल बनी, न ही पंचायत में कोई प्रस्ताव पारित हुआ। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इन पट्टों का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पट्टों पर 'कब्जाशुदा मकान' दर्शाया गया है, जबकि मौके पर केवल अप्रार्थी सं. 2 (सुखराम) का वर्तमान में वर्ष 2013–14 में निर्मित मकान है, शेष लोगों के वहां कोई मकान नहीं हैं। यह एक सोची–समझी साजिश के तहत सरकारी भूमि को हड़पने का कृत्य है। गैरनिगरानीकार के तर्क हैं कि निगरानीकार (चम्पालाल) को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। पट्टे वर्ष 1986 के हैं और निगरानी 35 वर्ष बाद पेश की गई है, अतः यह मियाद से बाहर है। निगरानीकार ने पूर्व में सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी वाद/पीआईएल दायर की थी जो खारिज हो चुकी हैं। यदि पंचायत के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो इसमें पट्टाधारकों की कोई गलती नहीं है। निगरानी खारिज की जानी चाहिए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के रिकॉर्ड, मौका निरीक्षण रिपोर्ट और प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों का गहनता से परिशीलन किया गया। गैरनिगरानीकार की यह आपत्ति कि निगरानी 35 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है, स्वीकार योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती उषा बनाम स्टेट ऑफ राज. (S.B. Civil W.P. No. 10962/2012) और लूनी देवी बनाम स्टेट (2015 (2) RLW 1431) में स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई पट्टा पूर्णतः फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और विधिक नियमों को विरूद्ध जाकर जारी किया गया है, तो वह प्रारंभ से ही शून्य है। ऐसे मामलों में मियाद का नियम आड़े नहीं आता है। सार्वजनिक संपदा को धोखाधड़ी से हड़पने के मामलों में न्यायालय स्वप्रेरणा से भी संज्ञान लेने हेतु अधिकृत है। जिला कलक्टर अलवर (राजस्व प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक पं0 12–5(6) राज0/85/4673–76 दिनांक 07.07.1985 द्वारा ग्राम सैमला के आराजी खसरा न0 58/2 कुल रकबा 14 बिस्वा भूमि चारागाह से खारिज कर आबादी में किस्म परिवर्तन कर आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। राजस्व रिकॉर्ड, नामान्तरण संख्या 54 के अनुसार खसरा नंबर 58/2 दिनांक 26.05.1986 को चारागाह से गैर–मुमकिन आबादी में संपरिवर्तित हुआ। जबकि पट्टों के पीछे अंकित विवरण के अनुसार मूल्यांकन का प्रस्ताव 12.07.1983 को और पंचायत का संकल्प 27.10.1985 को पारित होना बताया गया है। स्पष्ट है कि जब भूमि 'चरागाह' थी, तब ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम और काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमि का मूल्यांकन या आवंटन करने का कोई क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं था। विकास अधिकारी पत्र क्र. 2119 दिनांक 03.08.2018 और प्रशासक ग्राम पंचायत हसनपुर पत्र क्रमांक 27 दिनांक 27.02.2024 की स्पष्ट रिपोर्ट है कि उक्त विवादित 5 पट्टों की कोई मूल पत्रावली, प्रस्ताव रजिस्टर का अंकन या रसीद बुक ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बिना आवेदन, मौका नक्शा, 3 पंचों के निरीक्षण और बिना वैद्य संकल्प के जारी किए गए दस्तावेज/पट्टे कागज के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

टुकड़े मात्र हैं, जिनकी कोई विधिक मान्यता नहीं है। विवादित पट्टों में "कब्जाशुदा मकान" अंकित है। परंतु तहसीलदार (भू.अ.) लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2021/5000 दिनांक 02.12.2021 एवं ग्राम विकास अधिकारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2018 से स्पष्ट है कि वहां केवल अप्रार्थी संख्या 2 (सुखराम) का एक नवनिर्मित मकान है। बाकी लोगों का वहां कोई मकान मौजूद नहीं है। स्वयं गैर–निगरानीकार संख्या 7 (श्रीया) ने अपने जवाब दिनांक 31.07.2018 में स्वीकार किया है कि उसके पास खसरा 58/2 का कोई पट्टा नहीं है। यह सिद्ध करता है कि मौके पर बिना किसी भौतिक कब्जे के, मात्र कागजों में फर्जी तरीके से पट्टे तैयार किए गए हैं। पत्रावली पर आए तथ्यों और मौजूद रिकॉर्ड से यह भली–भांति प्रमाणित होता है कि सार्वजनिक/चरागाह भूमि को हड़पने के आशय से बिना किसी सक्षम प्रक्रिया के, फर्जी और कूटरचित पट्टे तैयार किए हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में राजस्थान पंचायत राज अधिनयम की घोर अवहेलना की गई है, अतः ऐसे कूटरचित पट्टे किसी भी स्थिति में बहाल रखने योग्य नहीं हैं। निगरानीकार द्वारा पेश निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत हसनपुर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा खसरा नंबर 58/2 ग्राम सैमला की भूमि में अप्रार्थीगण के नाम से जारी पट्टा नंबर 19,20,02,03 व 04 दिनांक 17.07.1986 को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित कर निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ और तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)